न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 525 / 2020 / RAA जिला–नागौर

1. किशनाराम पुत्र श्री रामदीन जाति जाट
2. मानाराम पुत्र श्री रामदीन जाति जाट
   निवासीगण डोबड़ी सांवलदास तहसील मकराना जिला नागौर।

---अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मकराना जिला नागौर।
2. पटवारी हल्का डोबड़ीकला तहसील मकराना जिला नागौर।
3. भू–अभिलेख निरीक्षक गच्छीपुरा तहसील मकराना जिला नागौर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
व धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध आदेश
दिनांक 29–12–2017 उपखण्ड अधिकारी, मकराना

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 11–10–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की सहखातेदारी की आराजियात खेताय खसरा नम्बर 124 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, ,खसरा नम्बर 124 / 1 रकबा 13 बिस्वा मौजा डोबड़ी सांवलदास पटवार हल्का डोबडीकंला तहसील मकराना स्थित खसरा नम्बर 124 के दक्षिणी पूर्वी कोने में बाड़ा व पशुधन के रहवास हेतु छप्पर आदि बने हुए है जिसमें से कभी मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 130 व 128 / 1 के खातेदार से मिलीभगत कर मौके पर कोई रास्ता नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 121 गैरमुमकिन गौचर में से खसरा नम्बर 130 तक किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं होने पर भी रास्ता बताकर रिपोर्ट दिनांक 28–12–2017 को तैयार कर तहसीलदार मकराना को प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी, मकराना के समक्ष पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो व खातेदारों को नोटिस दिये बिना गलत रिपोर्ट के आधार

पर आदेश दिनांक 29—12—2017 से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, मकराना के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खातेदारों को बिना नोटिस जारी किये पारित किया है। अपीलार्थीगण के पास आदेश से पूर्व कोई नोटिस नहीं आया व न ही अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थीगण को बिना अवसर दिये गलत रूप से आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलार्थीगण के खातेदारी के अधिकार समाप्त किये गये है जिससे अपीलार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपलार्थीगण के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त आदेश से अपीलार्थीगण हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28—12—2017 के अनुसार ग्राम डोबडी सांवलादास में कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 121 गै0मु0 गोचर से खसरा नम्बर 130 तक मौके पर चालू है इस कारण इस कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार मकराना को मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना ने तहसीलदार, मकराना की अभिशंषा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा उक्त रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज रहेगी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा—96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा—96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित खातेदारों को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया एवं

ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना उनकी भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये जबकि विधि अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है जिसके अभाव में खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु खातेदारों को पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है और न ही कभी रास्ता रहा है मौके पर अपीलार्थीगण का बाड़ा बना है व चारो ओर बाड़ की हुई है जिसमें से होकर कभी किसी प्रकार का रास्ता नहीं रहा है। विवादित आराजियात में से मौके पर रास्ता नहीं होने के बावजूद भी गलत रास्ता बताकर मौका रिपोर्ट गलत रूप से केवल एक ही खेत के खातेदार की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार करवाकर पेश की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार ने पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान रास्ता दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है तथा कटाणी रास्ता को जोड़ने बाबत आदेश दिया गया है जिसमें किसी भी खेत में से रास्ता घोषित करने अथवा किसी निजी खातेदार के खेत में पहुंचने तक का रास्ता नहीं दिया जा सकता है। निजी खातेदार को अपने खेत में पहुंचने हेतु रास्ता के संबंध में धारा 251 क के अन्तर्गत प्रावधान दिये गये है जिसके अनुसार रास्ता घोषित करवाया जा सकता है। उक्त योजना के तहत खातेदार को विशेष व्यक्ति के रास्ते हेतु कोई रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना गलत रूप से रास्ता घोषित किया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 130 के खातेदार को लाभ पहुंचाने की नियत से सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 130 व खसरा नम्बर 128 संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिनके विभाजन का वाद विचाराधीन है तथा खसरा नम्बर 128 व 130 एक ही खातेदारी के खेत है जिनका नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 127 में से होकर कटाणी रास्ता तक पहुंचता है जहां पर रास्ता दिया जा सकता है। वर्तमान में जहां रास्ता घोषित किया गया है वहां पर कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 125 गैर मुमकिन आबादी है जहां तक आवागमन हेतु कोई भी रास्ता नहीं है जहां तक रास्ता देकर खसरा नम्बर 127 में से 125 तक व खसरा नम्बर 127 की उत्तरी व पश्चिमी सीव के पास से होकर खसरा नम्बर 128 में आसानी से पहुंचा जा सकता है जो नजदीकी रास्ता है। खसरा नम्बर 128 व 130 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 127 में से ही कदीमी रास्ता है जहां से आवागमन करते है। विवादित आराजियात में से कोई रास्ता नहीं है तथा बाडे के रूप में भूमि काम में ली जा रही है तथा मौके पर बाड की हुई है रास्ता चालू नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मौके पर रास्ता ही नहीं है तो उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध रूप से की जाने से पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि रास्ते हेतु भूमि आवाप्त की जानी आवश्यक है जिसके लिए खातेदार को मुआवजा देकर रास्ता घोषित किया जा सकता है ऐसा ही प्रावधान धारा 251क में दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में न तो प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही कोई नाटिस जारी किया गया और न ही मुआवजा दिया गया मौके पर रास्ता चालू होने पर ऐसी कार्यवाही हो सकती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—12—2017 अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रथ्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28—12—2017 के अनुसार ग्राम डोबडी सांवलादास में कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 121 गै0मु0 गोचर से खसरा नम्बर 130 तक मौके पर चालू है इस कारण इस कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार मकराना को मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना ने तहसीलदार, मकराना की अभिशंषा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा उक्त रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौचर भूमि में से रास्ता दिया है। उक्त खसरा नम्बर 121 से 130 तक कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। विवादित आराजियात में से रास्ता दिया जाने से अपीलार्थीगण के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—12—2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28—12—2017 के अनुसार ग्राम डोबड़ी सांवलदास में कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 121 गैर0मु0 गोचर से खसरा नम्बर 130 तक मौके पर चालू है। उक्त मौका रिपोर्ट पर गामवासियों के हस्ताक्षर भी किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान प्राप्त मौके पर चालू कदीमी रास्तों के प्रस्ताव तहसीलदार मकराना से प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतों में मौके पर चल रहे रास्तों को राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु प्राप्त हुए जिस पर पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं तहसीलदार मकराना की अभिशंषा के आधार पर मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार ही रास्तों का अंकन राजस्व रेकार्ड में करने के आदेश पारित किये है तथा रास्ते की प्रस्तावित भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने एवं उक्त रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में दर्ज रहेगी।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 124 में बाड़ा व पशुओं के रहवास हेतु चारा रखने हेतु

छपरा आदि बना रखे है तथा चारो ओर बाड़ बना रखी है जबकि नजरी नक्शा अनुसार मौके पर रास्ता चालू होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन सुविधा को मध्यनजर रखते हुए आम जनता के आवागमन हेतु सरकारी एवं गै0मु0 भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि रास्ते में आती है तो उक्त खसरा संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बरान 121 से 130 की रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी जिससे किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर